सूचना

लोक आयुक्त कार्यालय, टी0सी0–46 वी–1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ हेतु निम्न कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अनुरक्षण/आपूर्ति के लिऐ कोटेशन आमंत्रित किये जा रहे है।

1. कार्यालय के विज्ञापन प्रकाशन कार्य के संबंध में।
2. कार्यालय के प्रयोगार्थ मुद्रण कार्य के संबंध में।*
3. तौलिया एवं वाहन के कवर की धुलाई के संबंध में।*

कोटेशन हेतु शर्ते

01. कोटेशन के साथ आयकर का पैन नम्बर, पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न, फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
02. कोटेशन के साथ पूर्व में किये गये कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है। केवल तौलिया एवं वाहन के कवर की धुलाई के संबंध में अनुभव प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता नही है।
03. कोटेशन के साथ फर्म को एक शपथ पत्र (न्यायिक हलफनामा) इस आशय से प्रस्तुत करना अनिवार्य है कि सम्बन्धित फर्म को कभी भी किसी भी सरकारी/निजी संस्थान द्वारा काला सूची में नही डाला गया है।
04. कार्यालय, प्राप्त कोटेशन में न्यूनतम दर वाली फर्म को चयनित करने हेतु बाध्य नही है, तथा किसी भी या सभी कोटेशन को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार, **सचिव, लोक आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ** को सुरक्षित होगा।
05. कोटेशन स्वीकार होने के पश्चात् सामग्री की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी फर्म की ही होगी।
06. फर्म द्वारा काम न करने की स्थिति में द्वितीय न्यूनतम दर वाली फर्म से कार्य कराया जाएगा।
07. आमंत्रित की जाने वाली कोटेशन से सामग्री तभी क्रय की जाऐंगी जब सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध न हो।
08. **कोटेशन का लिफाफा पूर्ण तरह से सील हो तथा कोटेशन के लिफाफे के उपर बड़े अक्षरों में** "*कोटेशन का विषय व वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कोटेशन* " अवश्य लिखें।
09. कोटेशन, लोक आयुक्त प्रशासन में **सचिव, लोक आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0** को **दिनांक** 05–03–2025 से दिनांक 11–03–2025 तक दी जा सकती है। निर्धारित समय के पश्चात् कोटेशन स्वीकार नही की जाएगी।
10. प्राप्त कोटेशन **दिनांक** 12–03–2025 पूर्वान्ह 11:30 बजे खोली जाएगी। कोटेशन खोले जाने के समय निविददाता अथवा उनके प्रतिनिध उपस्थित हो सकते है।

आज्ञा से,
सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश